**भारत सरकार**

**रक्षा मंत्रालय**

**रक्षा विभाग**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 1462**

**24 दिसम्बर, 2018 को उत्तर के लिए**

**'ओरिजनल इक्वीपमेंट मैन्यूफैक्चरर्स' के जरिए प्रौद्योगिकी अंतरण**

**1462. डा.आर.लक्ष्मणनः**

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

1. क्या सरकार ने रक्षा क्षेत्र में घरेलू विनिर्माता अवसंरचना और आपूर्ति श्रृखंला स्थापित करने के लिए प्रौद्योगिकी अंतरण हेतु वैश्विक ओरिजनल इक्वीपमेंट मैन्यूफैक्चरर्स (ओ.ई.एम) से करार करने के लिए भारतीय संस्थानों से दीर्घावधि कार्यनीतिक भागीदारी स्थापित की है;
2. यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
3. यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ.सुभाष भामरे)**

1. से (ग): रक्षा प्रापण प्रक्रिया (डीपीपी) 2016 के अध्याय vii में ''सामरिक भागीदारी के जरिये रक्षा औद्योगिक पारितंत्र का सुदृढ़िकरण'' नामक शीर्षक से अध्याय vii के रुप में रक्षा क्षेत्र में सामरिक भागीदारी (एसपी) पर नीति दिनांक 31.05.2017 को प्रख्यापित की गई थी।

इस नीति का उद्देश्य रक्षा प्लेटफार्मों के विनिर्माण में डीपीएसयू/ओएफबी के अतिरिक्त निजी क्षेत्रों की व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए एक पारदर्शी, उद्देश्यपरक और व्यावहारिक तंत्र को स्थापित करना है। सामरिक भागीदारी के अंतर्गत अधिग्रहण के लिए चिन्हित चार खंड -(i) लड़ाकू विमान; (ii) हेलिकॉप्टर; (iii) पनडुब्बियां; और (iv) बखतरबंद लड़ाकू वाहन (एएफवी)/ मुख्य युद्धक टैंक (एमबीटी) हैं।

सामरिक भागीदार (एसपी) से विकास साझेदार, विशिष्ट विक्रेता और आपूर्तिकर्त्ता विशेषकर जो एमएसएमई क्षेत्र से हैं को शामिल करते हुए एक विस्तृत पारितंत्र के निर्माण के द्वारा प्रणाली समन्वयक की भूमिका निभाने की अपेक्षा की जाती है। सामरिक भागीदारी, सहयोगात्मक करार एवं विकास भागीदारी जिसमें सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई), डीपीएसयू, ओएफ, अन्य पीएसयू, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और अन्य उद्योगों सहित विदेशी कम्पनियां, जो संबद्ध क्षेत्र में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के हिस्से हैं, शामिल है, के साथ प्रत्येक खंड में बहुस्तरीय उद्योग विकसित करेगी ताकि कलपुर्जों और प्लेटफार्म की मरम्मत और अनुरक्षण की क्षमता के साथ भारतीय रक्षा क्षेत्र में घरेलू विनिमार्ताओं का पारितंत्र विकसित किया जा सके।

सभी चार खंडों- नौसेना प्रयोज्य हेलिकॉप्टर (एनयूएच), पनडुब्बियां, लड़ाकू विमान और बख्तरबंद लड़ाकू वाहनों (एएफवी)/ मुख्य युद्धक टैंक (एमबीटी) को सूचना के लिए अनुरोध (आरएफआई) जारी किए गए हैं। एनयूएच,पनडुब्बियों और लड़ाकू विमानों के लिए आरएफआई की प्रतिक्रिया के मूल्यांकन पहले से ही शुरु किये जा चुके हैं। एएफवी/ एमबीटी के लिए आरएफआई की प्रतिक्रिया का मूल्यांकन इसकी प्राप्ति के बाद किया जाएगा।

जैसा की डीपीपी-2016 के भाग vii में बताया गया है, प्रमुख रक्षा प्लेटफार्मों के विनिर्माण, प्रौद्योगिकी का अंतरण, दक्ष मानव संसाधनों के प्रशिक्षण में सहायता और अन्य सहयोग आते हैं, के लिए सामरिक भागीदारी को वैश्विक मूल उपस्कर विनिर्माता (ओ.ई.एम) के साथ करार करना होगा।

\*\*\*\*\*